

मि.न.- 65/19

सरकार बनाम ईश्वर

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पुरुषोत्तमपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2075 में वाके ग्राम पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30 रकबा 17.35है0 किस्म जमीन चारागाह मेंसे 0.03है0 पर ईश्वर पुत्र सरदारा जाति बंजारा निवासी पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने एक टीन सैड व मकान बनाकर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो संलग्न पत्रावली किया गया। गैर सायल अधिवक्ता ने अपने जवाब में कथन किया है कि गैरसायल ने वाके ग्राम पुरुषोत्तमपुरा के खसरा नंबर 30/17.35है0 किस्म चारागाह मेंसे 0.03है0भूमि पर एक मकान एक कच्चा घर निर्मित कर रखे हैं।इन्के अलावा गैरसायल के पास रहने के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है। अतः नोटिस राजस्थान लेण्ड रैवन्यू एक्ट 1956 की कार्यवाही ड्राप फरमाई जावे।

हमने पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी व गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब पर गौर किया तो विवेचन पर पाया कि गैरसायल द्वारा अपने जवाब में स्वयं की स्वीकारोक्ती के आधार पर गैरसायल का उक्त चारागाह भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण स्वतः ही सिद्ध होता है जिसके विरुद्ध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही किया जाना उचित प्रतीत होता है चूंकि गैरसायल के जवाब के अनुसार प्रतीत होता है कि गैरसायल के पास उक्त मकान के अलावा रहवास के लिए अन्य कोई भूमि नहीं है चूंकि ईश्वर पुत्र सरदारा बंजारा जाति से सम्बद्ध है जो एक घुमन्तु जाति है । राज्य की लोक नीति के अनुसार इनके उचित रहवास की व्यवस्था के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं। अतः गैर सायल को उक्त आराजीयात से बेदखल

करने हेतु ग्राम पंचायत से गैरसायल के रहवास की व्यवस्था करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः ईश्वर पुत्र सरदारा जाति बंजारा निवासी पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम पुरुषोत्तमपुरा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 30/17.35 है0, किस्म जमीन चारागाह मे से 0.03 है0 पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा सरपंच ग्राम पंचायत पुरुषोत्तमपुरा को आदेशित किया जाता है कि वह अतिक्रमि सरदारा पुत्र लक्षमण जाति बंजारा की रहवास की व्यवस्था नियमानुसार करे तत्पश्चात हल्का गिरदावर बेदखली की कार्यवाही कर रिपोर्ट करें। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 10/11/19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

*SSe*  
तहसीलदार  
कोटपूतली (जयपुर)